[2013] 9 S.C.R. 521

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य

बनाम

नेहा अनिल बोबडे (गडेकर)

(2013 का सिविल अपील सं. 8355 आदि)

19 सितंबर, 2013

[के. एस. राधाकृष्णन और ए. के. सिकरी, जे. जे.]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956:

एसएस 12 और 26- यू. जी. सी. द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2012 आयोजित की गई- इस आधार पर चुनौतियां है कि अंतिम परिणामों की अंतिम घोषणा में योग्यता मानदंडों में परिवर्तन मनमाना, अवैध, बिना अधिकार के और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। निर्धारित कियाः यू. जी. सी. द्वारा उठाए गए सभी कदम एन. ई. टी. परीक्षा, 2012 के लिए अधिसूचना के खंड *7* के अनुसार थे। खंड *7* के अनुसार योग्यता मानदंड निर्धारित करना नियम में परिवर्तन के बराबर नहीं है क्योंकि यह पहले से ही अधिसूचना में पूर्व-ध्यान में रखा गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि यू. जी. सी. ने उम्मीदवार के खिलाफ मनमाने ढंग से या

सनक से काम किया है। एन. ई. टी. परीक्षा को पास करने का अर्थ है अंतिम परिणामों को पास करना, न कि केवल अलग अलग पेपरों में उत्तीर्ण होना, जो कि केवल प्रारंभिक चरण है उम्मीदवार परिणामों की अंतिम घोषणा से पहले यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित अंतिम योग्यता मानदंड को संतुष्ट करना चाहिए। यू. जी. सी. किसी भी योग्यता मानदंड को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है जो कि किसी उदेश्य को प्राप्त करने के लिए एक तर्कसंगत संबंध रखती है जैसा कि शिक्षा, परीक्षा व अनुसंधान के मानदण्डों के रखरखाव के लिए- यू. जी. सी. ने योग्यता का मानदण्ड निर्धारित करते हुए केवल विशेषज्ञ की राय को ही लागू किया है। जो कि मनमाना अवैध, भेदभावपूर्ण तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान विनियम, 2010 शैक्षणिक मामले- निर्धारित कियाः शैक्षणिक मामलों में, जब तक कि वैधानिक प्रावधानों, विनियमों या जारी की गयी अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है तब तक अदालतें इस मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगीं ये मुद्दे विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) द्वारा जारी अधिसूचना 06.02.2012 के अनुसार जे. आर. एफ. की पात्रता प्रदान करने व विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्याख्यान की पात्रता का निर्धारण करने

के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन. ई. टी.) 24.6.2012 पर आयोजित की गई थी। 17.9.2012 पर यू. जी. सी. द्वारा गठित मध्यस्थता समिति ने जून 2012 की अधिसूचना के खण्ड 7 में प्रस्तुत प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम प्रतिशत के अतिरिक्त समग्र रूप से सामान्य, ओ. बी. सी. (गैर-क्रीमी लेयर) और एस. सी./एस. टी./पी. डब्ल्यू. डी. उम्मीदवारों के लिए 65 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 55 प्रतिशत क्रमशः का कुल प्रतिशत होना व्याख्याता पद के लिए पात्रता मानदंड की अनुशंसा की। तदनुसार, परिणाम 18 सितंबर 2012 को घोषित किया गया था। इसके बाद, कुछ पर अभ्यावेदन और विशेषज्ञ समिति के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यू. जी. सी. ने 12.11.2012 को 15178 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करते हुए पूरक परिणाम तैयार तथा घोषित किया। जिन उम्मीदवारों ने पेपर 1, पेपर 2 व पेपर 3 में न्यूनतम अंक प्राप्त किए थे, उन्होंने इस उद्घोषणा के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि परिणामों में परिलक्षित योग्यता मानदण्डों में परिवर्तन मनमाना, अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी और यू. जी. सी. को निर्धारित न्यूनतम अंकों के संदर्भ में परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।

यू. जी. सी. और अन्य द्वारा दायर वर्तमान अपीलों में, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न था, कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के

पास उन लोगों के लिए अंतिम योग्यता मानदंड तय करने की शक्ति थी, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2012 के अंतिम परिणामों की घोषणा से पहले सभी पेपरों के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त किये थे।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित कियाः 1.1 यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12 में कहा गया है विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वय के लिए विश्वविद्यालयों या अन्य निकायों के साथ परामर्श करके ऐसे सभी कदम उठाना जो कि इसके लिए उपयुक्त समझते हैं, यू. जी. सी. का सामान्य कर्तव्य होगा। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में यू. जी. सी. को ऐसे कदम उठाने का सामान्य कर्तव्य सौंपा गया है जिसे वह यू. जी. सी. अधिनियम मानकों का निर्धारण और रखरखाव, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के लिए उचित समझे। यह भारत में उच्च शिक्षा के कार्य को बढावा देने के लिए निर्धारित या उसके द्वारा आवश्यक समझा जाने वाले ऐसे सभी कार्य को करने के लिए भी कर्त्तव्यबद्ध है। यू. जी. सी. को उस योग्यता को परिभाषित करने की शक्ति भी मिली है जो विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त करने व विश्वविद्यालयों में मानकों के रखरखाव और कार्य और संकायों के समन्वय को विनियमित करने के लिए आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होनी चाहिए। यू. जी. सी., विभिन्न प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्याख्यान के लिए योग्यता प्रदान

करने और हर साल जूनियर रिसर्च फैलोशिप प्रदान करने के लिए एन. ई. टी. का संचालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। [पैरा 5,9 और 20] [528 - जी-एच; 531-एफ-जी; 540-बी-डी]

दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह 1994 (3) Suppl. SCR 217 = 1994 Supp. (3) SCC 516; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम साधना चौधरी और अन्य 1996 (6) Suppl. SCC 392 = (1996) 10 SCC 536, अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनिधि कुलसचिव बनाम सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग और अन्य 2009 (3) SCR 355 = (2009) 4 SCC 590- पर आधारित

1.2 . यू. जी. सी. द्वारा यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 26 (1) के खंड (ई) और (जी) के तहत अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यू. जी. सी. (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और अन्य संस्थानों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता तथा उच्च शिक्षा के अन्य मानकों के निर्धारण के लिए) को विनियामक 2010 को जारी किया गया। विनियम का खण्ड 3.3.1 कथन करता है कि विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती व नियुक्ति के लिए एन. ई. टी. न्यूनतम पात्रता शर्त बनी रहेगी। खंड 4.4.1 यह निर्धारित करता है कि अन्य निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने से पहले, उम्मीदवारों को यू. जी. सी. द्वारा आयोजित एन. ई. टी. उत्तीर्ण होना चाहिए। इसलिए

शिक्षण, परीक्षण आदि के मानकों के रखरखाव के लिए योग्यता मानदंड निर्धारित करने की यू. जी. सी. की शक्ति "जैसा कि यह उचित समझती हैं' पर विवाद नहीं किया जा सकता है। एन. ई. टी. आयोजित करने के लिए अधिसूचना का पैरा 7, 24.6.2012 को अधिनियम की योजना से संबंधित है जो यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उम्मीदवारों को पेपर I, पेपर II व पेपर III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उम्मीदवार जिन्होंने प्रत्येक पेपर में न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त किए है केवल उन पर ही परिणाम की अंतिम तैयारी के लिए विचार किया जाएगा। जे. आर. एफ. के लिए अंतिम योग्यता मानदंड और व्याख्यान के लिए पात्रता, परिणामों की घोषणा से पहले यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित किए जाए। [पैरा 23] [542-डी-एच; 543-ए]

1.3. इस प्रकार, परिणामों की अंतिम घोषणा से पहले पालन की जाने वाली आवश्यकताएँ इस प्रकार हैः (i) उम्मीदवारों के लिए पेपर I, पेपर II व पेपर III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करना और; (ii) जिन उम्मीदवारों ने उक्त मानदण्ड को संतुष्ट किया है, केवल वही परिणाम की अंतिम तैयारी से पहले एक योग्यता मानदंड के अधीन होंगे; (विचार क्षेत्र); और (iii) यू. जी. सी. को परिणाम घोषित करने से पहले अंतिम योग्यता मानदंड तय करना होगा। उम्मीदवार अन्य दो चरणों की उपेक्षा करते हुए

तथा इस तथ्य को विस्मृत करते हुए कि केवल वही उम्मीदवार विचार क्षेत्रमें आएंगे, जिन्होंने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, उसी क्षण परिणामों की अंतिम घोषणा की मांग कर रहे हैं जिस क्षण वे पेपर I, पेपर II व पेपर III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेते हैं। एन. ई. टी. परीक्षा, 2012 की अधिसूचना में इन सभी चरणों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। [पैरा 23-24] [543 ए-ई]

1.4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2,04,150 उम्मीदवारों ने पेपर I, पेपर II व पेपर III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। उन सभी उम्मीदवारों को यू. जी. सी. द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित अंतिम योग्यता मानदंड के अधीन किया गया था, क्योंकि वे विचार क्षेत्र के दायरे में आते हैं। अंतिम योग्यता मानदंडों को लागू करते हुए, समिति द्वारा सिफारिश की गईः (i) योग्यता मानदंड के अनुसार कुल 43,974 उम्मीदवार व्याख्यान योग्यता के लिए योग्य घोषित किया जाए; (ii) कि एन. ई. टी. (i) में उल्लेखित मानदंडों के अनुसार जे. आर. एफ. पुरस्कार विजेताओ कों अंतिम रूप दे सकता है, उन उम्मीदवारों में से जिन्होंने जे. आर. एफ. का विकल्प चुना था और जो व्याख्यान के लिए भी योग्य हो गए थे । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया गया और योग्यता मानदंड के अनुसार 43,974 उम्मीदवार व्याख्यान योग्यता के लिए योग्य घोषित किए गए थे। यह उन न्यूनतम

अर्जित अंक प्राप्त लोगों के पक्ष में कुछ और छुट भी दी गई, जिन्होंने न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए हैं क्योंकि वे उम्मीदवार एन. ई. टी. में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों में शीर्ष 7 प्रतिशत में शामिल थे, जो 18.9.2012 को घोषित मूल परिणाम में योग्य घोषित उम्मीदवारों के अतिरिक्त थे। उस छूट से 15,178 उम्मीदवारों को लाभ हुआ। नतीजतन, एन. ई. टी. परीक्षा 2012 में कुल 57,550 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। [पैरा 25-26] [543-डी-इ ; 544 - एफ-एच; 545-ए]

1.5. यू. जी. सी. द्वारा उठाए गए सभी कदम पूर्णतः एन. ई. टी. परीक्षा, 2012 के लिए अधिसूचना के खंड 7 के अनुसार थे। खंड 7 के अनुसार योग्यता मानदंड निर्धारित करना नियम में परिवर्तन नहीं है क्योंकि अधिसूचना में पहले से ही इसका ध्यान रखा गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि यू. जी. सी. ने मनमाने ढंग से या सनकी तरीके से उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है। यू. जी. सी. ने अपनी वैधानिक शक्तियों और एन. ई. टी. जून, 2012 के लिए अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों का प्रयोग करते हुए व्याख्यान योग्यता व जे. आर. एफ. के लिए योग्यता मानदण्ड को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों की एक मध्यस्थता समिति का गठन किया। यू. जी. सी. ने विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कार्य किया। [पैरा 27] [545-बी-डी]

1.6. उम्मीदवारों को किसी भी तरह से गुमराह नहीं किया गया था। एन. ई. टी. परीक्षा पास करने का मतलब है अंतिम परिणाम पास करना, न केवल पेपर I, पेपर II और पेपर III में उत्तीर्ण होना, जो केवल प्रारंभिक चरण है, अंतिम नहीं है। उम्मीदवारों को परिणाम उदघोषणा से पहले यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित अंतिम योग्यता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। [पैरा 28] [545-ई-एफ]

1.7. शैक्षणिक मामलों में, जब तक कि कोई वैधानिक प्रावधानों, विनियमों या अधिसूचना जारी होने का स्पष्ट उल्लंघन न हो, तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी क्योंकि वे मुद्दे विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी. डी. गोविंदा राव, 1964 SCR 575 = AIR 1965 SC 491, तारिक इस्लाम बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 2001 (3) Suppl. SCR 689 = (2001) 8 SCC 546 और राजबीर सिंह दलाल बनाम चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय 2008 (11) SCR 992 = (2008) 9 SCC 284- पर निर्भर

1.8 एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में यू. जी. सी. को ऐसे कदम उठाने का कर्तव्य सौंपा गया है जो उसे शिक्षण के मानकों का निर्धारण और रखरखाव, विश्वविद्यालयों में परीक्षा और अनुसंधान के निर्धारण के लिए

उचित लगे। उक्त मानकों को प्राप्त करने के लिए, यू. जी. सी. किसी भी योग्यता मानदण्ड को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसका कि एक निर्धारित उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है उदाहरणार्थ, शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के रखरखाव के लिए। व्याख्यान के लिए पात्र घोषित किए गए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकते है और इस प्रकार के शिक्षा संकाय के मानकों का विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के छात्रों को प्रदान किए जाने वाली शिक्षा के मानकों के रखरखाव के साथ सीधा संबंध है। यू. जी. सी. ने केवल योग्यता मानदंड को निर्धारित करके विशेषज्ञों की राय को लागू किया, जिसे मनमाना, अवैध या भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता है। [पैरा 29] [546-बी-ई]

निर्णय विधि संदर्भः

1994 (3) Suppl. SCR 217	पर निर्भर	पैरा 21
1996 (6)Suppl. SCR 392	पर निर्भर	पैरा 22
2009 (3) SCR 355	पर निर्भर	पैरा 22
1964 SCR 575	पर निर्भर	पैरा 29
2001 (3) Suppl. SCR 689	पर निर्भर	पैरा 29

2008 (11) SCR 992 पर निर्भर पैरा 29

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्रः सिविल अपील संख्या 8355 2013 से।

2012 के डब्ल्यू. पी. सं. 4996 में नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 29.04.2013 दिनांक के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2013 की सिविल अपील संख्या 8356

2013 की सिविल अपील संख्या 8357

मोहन परासरन, एस. जी., राजू रामचंद्रन, नगेंद्र राय, वी. गिरि, अमितेश कुमार, चंद्र शेखर, नवीन प्रकाश, गोपाल शंकरनारायणन, अश्वती बलराज,विक्रमादित्य,

निर्निमेश दुबे, वरुण पुनिया, सिद्धार्थ मित्तल, एस. के. सभरवाल, के. पी. राजगोपाल, ए. वेनायगम बालन, अर्जुन गर्ग, नचिकेता जोशी, चैतन्य जोशी, हेमन्त पाटिल, शान्तनु सागर, चंद्र प्रकाश, दीपक प्रकाश, बिनेश करात, विवेक कुमार वर्मा, हरिथा वी. ए., डॉ. विनोद केआर. तेवारी, अनुपम द्विवेदी, प्रदीप केआर. द्विवेदी, डी. एन. दुबे, आर. के. पांडे, अतुल शर्मा, आकर्शन सहाय, अखिल साचर, श्रीधर वी. पुरोहित, सिद्धेश कोतवाल, उषा नंदिनी, वी उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय के. एस. राधाकृष्णन जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई

2. इन अपीलों में हमें, इस बात की जांच करने का आह्वान किया गया हैं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में "यू. जी. सी".) को उन लोगों के लिए अंतिम योग्यता मानदंड तय करने की शक्ति मिली है, जिन्होंने वर्ष 2012 के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (संक्षिप्त में "एन. ई. टी.") के परिणामों की अंतिम घोषणा से पहले सभी पेपरों के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं।

3. हमारे सामने बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, नागपुर पीठ का एक फैसला है, जिसमें फैसला सुनाया कि एन. ई. टी. परीक्षा के परिणामों की घोषणा से पहले अधिसूचना दिनांक 6.12.2012 में उम्मीदवारों के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने के बाद भी यू. जी. सी. में अंतिम योग्यता मानदंड के रूप में कुल अंक तय करने की क्षमता का अभाव है, केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए समान दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए।

4. सर्वप्रथम हम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (संक्षेप में "यू. जी. सी. अधिनियम"), 1956, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 आदि, के दायरे की जांच करें, जो दोनों पक्षों के विद्वान

वकील द्वारा उठाए गए विभिन्न विवादों की उचित सराहना के लिए आवश्यक है।

5. यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 66 सूची । के प्रावधानों के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो इसे "उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के संस्थानों में मानकोेंं का समन्वय और निर्धारण" के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। उक्त उद्देश्य के लिए, अधिनियम ने केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित करने के लिए अधिकृत किया। अधिनियम का तीसरा अध्याय आयोग की शक्तियों व कार्यों से संबंधित है। धारा 12 में कहा गया है कि आयोग का सामान्य कर्तव्य होगा कि संबंधित विश्वविद्यालयों या अन्य निकायों के परामर्श से ऐसे सभी कदम उठाना जो वह विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय के लिए और विश्वविद्यालय शिक्षा और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझता है और अधिनियम के तहत उसके कार्यों को करने के उद्देश्य से आयोग को अधिनियम के तहत कुछ शक्तियां दी गई हैं। धारा 12 का खंड (जे) निम्नानुसार हैः

> "12 (i) ऐसे अन्य कार्य करें जो आयोग के द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के कार्य को बढावा देने के लिए निर्धारित

किए गए हो या आवश्यक समझे गए हो या जो उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए आकस्मिक या अनुकूल हो सकते हैं।"

6. यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 26 (1) इसे अधिनियम और नियमों के अनुरूप विनियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 26 के खंड (ई), (एफ) और (जी) कुछ प्रासंगिक हैं और नीचे दिए गए हैंः

"26. (1) आयोग आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अनुरूप विनियम बनाएँ और अनुरूप नियम के अनुसार संगत हैं-

(ई) उन योग्यताओं को परिभाषित करना जाे विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द में नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति से, विद्या की उस शाखा को ध्यान में रखते हुए जिसमें उस व्यक्ति द्वारा शिक्षण दिया जाना प्रत्याशित है, सामान्यतया अपेक्षित है;

(एफ) किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी उपाधि को प्रदान करने के लिए शिक्षण के न्यूनतम स्तरमानों को परिभाषित करना;

(जी) किसी विश्वविद्यालय में स्तरमानों के बनाए रखने को और काम या सुविधाओं की एकसूत्रता को विनियमित करना;

7. यू. जी. सी. ने, यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 26 (1) के खंडों (ई) और (जी) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और इससे संबंधित संस्थानों में शिक्षक की नियुक्ति और कैरियर उन्नति के लिए आवश्यक इससे संबद्ध न्यूनतम योग्यताएँ) विनियम, 2000 के दमन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा स्तर पर मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2010 को जारी किया। विनियम 2 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों,

पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा और खेल के निदेशक की नियुक्ति और अन्य सेवाओं के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च शिक्षा में मानकों का रखरखाव के लिए उपरोक्त विनियमों के अनुलग्नक में दिए गए प्रावधान के अनुसार होगा। खंड 3. 1 अनुलग्नक का पाठ इस प्रकार हैः

> "3.3.1. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती और नियुक्ति के लिए एन. ई. टी./स्लेट/सेट पात्रता की शर्त बनी रहेगी। हालांकि, बशर्ते कि उम्मीदवार, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी. एच. डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया

) विनियम, 2009 के अनुसार पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया है उन्हें विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में सहायक पेशे या समकक्ष पदों की नियुक्ति और भर्ती में एन. ई. टी./स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्त से छूट दी जाएगी।"

8. खंड 4.0.0 प्रत्यक्ष भर्ती से संबंधित है। खंड 4.4.0 सहायक प्रोफेसर से संबंधित है और खंड 4.4.1 विभिन्न विषयों, जैसे कला, मानविकी आदि और उनके लिए निर्धारित योग्यताओं से संबंधित है, निम्नानुसार हैंः

"4.4.1 कला, मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता और जन संचार

i. भारतीय विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री में मास्टर डिग्री स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (या एक बिंदु पैमाने में समकक्ष ग्रेड जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है) के साथ संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड।

ii. उपरोक्त योग्यताओं को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवार को यू. जी. सी., सी. एस. आई. आर. द्वारा अयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन. ई. टी.), या यू. जी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त समान परीक्षा जैसे एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. उत्तीर्ण होना चाहिए।

iii. खंड 4.4.1 के उपखंडों (i) और (ii) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उम्मीदवार, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी. एच. डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया है उन्हें विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में सहायक पेशे यासमकक्ष पदों की नियुक्ति और भर्ती में एन. ई. टी./स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्त से छूट दी जाएगी।

iv. जिन विषयों में एन. ई. टी./ स्लेट/ सेट आयाेजित नहीं किया जाता है, ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एन. ई. टी./ स्लेट/ सेट की भी आवश्यकता नहीं होगी।"

9. यू. जी. सी. ने उपरलिखित विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्याख्यान के लिए पात्रता प्रदान करने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (संक्षेप में "जे. आर. एफ".) प्रदान करने के लिए एन. ई. टी. आयोजित करने के लिए बाध्य है। यूजीसी हर साल इस तरह की परीक्षा आयोजित करता है।

10. यू. जी. सी. ने 22.12.2011 को आयोजित अपनी 482 वीं बैठक में, निम्नानुसार निर्णय लिएः

> "चर्चा के दौरान, आयोग ने पेपर-III के अंकन में वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, पेपर-III के अंकन में अंतर और अंतरा-परीक्षक परिवर्तनशीलता को कम करना, एन. ई. टी. परिणामों की घोषणा में देरी , सी. एस. आई. आर.- एन. ई. टी. परीक्षा की तर्ज पर एन. ई. टी. मॉडरेशन समितियों की अनुशंसाएँ कि पेपर-III को वर्णनात्मक से वस्तुनिष्ठ प्रकार में बदला जाए, जिसमें तीनों पेपर वस्तुनिष्ठ होते हैं, आदि से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निर्णय लिया कि पेपर-III को जून 2012 में निर्धारित आगामी परीक्षा से वस्तुनिष्ठ प्रकार में परिवर्तित

कर दिया जाए। इसके अलावा, आयोग ने यह भी सिफारिश की कि प्रश्न बैंकों के विकास के लिए भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

11. तदनुसार जे. आर. एफ. के पुरस्कार के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता और भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याख्यान के लिए पात्रता के निर्धारण के लिए एन. ई. टी. परीक्षा के लिए अधिसूचना 06.02.2012 पर प्रकाशित की गयी थी।

12. उस अधिसूचना के तहत यू. जी. सी. ने घोषणा की कि 24 जून, 2012 को एन. ई. टी. आयोजित किया जाएगा और उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया था कि वे आवेदन जमा करने से पहले अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। खंड 3 पात्रता की शर्त को संदर्भित करता है और अधिसूचना का पैरा 7 योजना और परीक्षण तिथि से संबंधित है। पैरा 7 का महत्वपूर्ण भाग सुलभ संदर्भ के लिए अधोलिखित हैः

> "7. परीक्षा की योजना और तारीखः
>
> (i) यू. जी. सी.- एन. ई. टी., जून 2012 से वस्तुनिष्ठ प्रणाली से आयोजित की जाएगी। टेस्ट में तीन पेपर होंगे। तीनों पेपरों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और ये 24 जून, 2012 (रविवार) को दो अलग-अलग सत्रों में निम्नानुसारः आयोजित किए जाएंगेः

सत्र	पेपर	अंक	प्रश्न की संख्या	समय अवधि
प्रथम	I	100	60 जिसमे से 50 प्रश्न प्रयत्न करने हैं।	1½ घंटें (09.30 A.M. to 10.45 A.M.)
प्रथम	II	100	50 प्रश्न अनिवार्य है।	1¼ घंटें (10.45 to 12.00 Noon)
द्वितीय	III	150	75 सभी प्रश्न अनिवार्य है।	2½ घंटें (01.30 P.M.to 04.00 P.M.)

पेपर-I सामान्य प्रकृति का होगा, जिसका उद्देश्य उम्मीदवार की शिक्षण/अनुसंधान योग्यता का मूल्यांकन करना होगा। यह मुख्य रूप से उम्मीदवार की तर्क क्षमता, समझ, भिन्न सोच और सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के आशय से डिज़ाइन किया जाएगा।साठ (60) बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएगें जिसमें प्रत्येक दो अंको को हाेगा, जिसमें से उम्मीदवार को किसी भी पचास (50) का

उत्तर देना आवश्यक होगा। उम्मीदवार पचास से अधिक प्रश्नों का प्रयास करने की स्थिति में उम्मीदवार द्वारा किए गए पहले पचास प्रश्न के प्रयास का मूल्यांकन किया जाएगा।

पेपर-II में उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय के आधार 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के अनिवार्य प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा।

पेपर-III में उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय के आधार 75 वस्तुनिष्ठ प्रकार के अनिवार्य प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा।

उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका परीक्षण के साथ प्रदान की गई ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओ. एम. आर.) शीट पर पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III के प्रश्न के उत्तर को चिह्नित करना होगा। ओ. एम. आर. भरने के लिए विस्तृत निर्देश प्रवेश पत्र के साथ उम्मीदवार को भेजा जाएगा।

उम्मीदवारों को पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

श्रेणी	प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक(%)		
	पेपर I	पेपर II	पेपर III
सामान्य	40(40%)	40(40%)	75(50%)
ओ बी सी (नॉन क्रिमी लेयर)	35(35%)	35(35%)	67.5(45%) लगभग 68
पीएच/वीएच/एससी सी /एसटी	35(35%)	35(35%)	60(40%)

केवल ऐसे उम्मीदवार जो प्रत्येक पेपर में, अलग से न्यूनतम आवश्यक अंक जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राप्त करते है, उन्हीं पर परिणाम की अंतिम तैयारी के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अंतिम योग्यता मानदंड (जे. आर. एफ.) और व्याख्याता के लिए पात्रता के लिए निर्णय अंतिम योग्यता मानदंड परिणाम की घोषणा से पहले किया जाएगा।"

13. तदनुसार, यू. जी. सी. ने 24 जून, 2012 तारीख को परीक्षा आयोजित की। 17 सितंबर, 2012 को यू. जी. सी. द्वारा गठित मध्यस्थता समिति में शामिल यू. जी. सी. के अध्यक्ष और सचिव, एन. सी. ई. आर. टी. के पूर्व निदेशक, यू. जी. सी. के पूर्व सदस्य, गुजरात केंद्रीय

विश्वविद्यालय के कुलपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के विभाग प्रमुख, दून विश्वविद्यालय के कुलपति और कुछ अन्य विशेषज्ञों ने व्याख्याता योग्यता के लिए "योग्यता मानदंड" को अंतिम रूप देने के लिए मुलाकात की और निम्नलिखित निर्णय लियाः

"॥ यू. जी. सी. - एन. ई. टी. के लिए विचार क्षेत्र उम्मीदवारों को पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है जैसा कि नीचे दिया गया हैः

सारणी (i)

श्रेणी	प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक(%)		
	पेपर I	पेपर II	पेपर III
सामान्य	40(40%)	40(40%)	75(50%)
ओ बी सी (गैर क्रिमी लेयर)	35(35%)	35(35%)	67.5(45%) लगभग 68
पीएच/वीएच/एस सी/एसटी	35(35%)	35(35%)	60(40%)

केवल ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने प्रत्येक पेपर में अलग से उपर दर्शाए अनुसार न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त किए है उन्ही पर परिणाम की अंतिम तैयारी के लिए विचार किया जाना था । उपरोक्त विचार क्षेत्र में 2,04,150 उम्मीदवार शामिल हुए।

III. व्याख्यान पात्रता के लिए अर्हता मानदंड वर्णित विचार क्षेत्र का संज्ञान लेते हुए, मध्यस्थता समिति द्वारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप(जे. आर. एफ.) व व्याख्याता के लिए पात्रता के परिणाम की घोषणा के लिए अंतिम अर्हता मानदंड निर्धारित की जाती है।

ऊपर वर्णित विचार क्षेत्र के अतिरिक्त, समिति ने व्याख्याता योग्यता के लिए एक और श्रेणी-वार मानक स्थापित करने का निर्णय लिया अर्थात तीनों पेपरों का समग्र प्रतिशत। व्याख्याता योग्यता के लिए प्रस्तावित योग्यता मानदंड निम्न प्रकार से हैः

सारणी (ii)

श्रेणी	प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम प्रतिशत अंक(%)			
	पेपर I	पेपर II	पेपर III	समग्र

सामान्य	40%	40%	50%	65%
ओ बी सी	35%	35%	45%	60%
एससी /एसटी /पीडब्ल्यूडी	35%	35%	40%	55%

उपरोक्त मानदंडों के अनुसार, समिति द्वारा यह पाया गया था कि कुल 43974 उम्मीदवार व्याख्यान योग्यता के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।"

14. समिति ने सिफारिश की कि सामान्य, ओ. बी. सी.(गैर-क्रीमी लेयर) और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को क्रमशः 65 प्रतिशत, 60 प्रतिशत व 55

प्रतिशत का कुल प्रतिशत और यू. जी. सी. एन. ई. टी. जून 2012 के लिए अधिसूचना के खंड 7 में योग्यता मानदंड के रूप में प्रस्तुत पेपर-वार न्यूनतम प्रतिशत के अतिरिक्त अंक प्राप्त करने होंगे। मध्यस्थता समिति की सिफारिशों के आधार पर 18 सितंबर, 2012 को परिणाम घोषित किया गया था और 24 जून, 2012 को आयोजित यू. जी. सी.-एन. ई. टी. परीक्षा के लिए श्रेणी-वार योग्यता मानदंड निम्नानुसार थाः

"24 जून, 2012 को आयोजित यू. जी. सी.-एन. ई. टी. में व्याख्यान पात्रता के लिए श्रेणी-वार योग्यता मानदंडः

श्रेणी	न्यूनतम योग्यता अंक			
	पेपर I	पेपर II	पेपर III	समग्र
सामान्य	40%	40%	50%	65%
ओ बी सी (गैर क्रिमी लेयर)	35%	35%	45%	60%
एससी /एसटी /पीडब्ल्यूडी	35%	35%	40%	55%

15. यू. जी. सी. को बाद में एन. ई. टी.-जून 2012 के लिए अपनाए गए मानदंड के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए और उसी को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 20.10.2012 को बैठक की और एन. ई. टी.-जून 2012 से संबंधित अभ्यावेदनों/ शिकायतें की जांच के लिए आयोग के सदस्यों में से पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और यदि आवश्यक हो तो परिणामों पर दोबारा विचार

करें। समिति ने अभ्यावेदन की जाँच के बाद निम्नलिखित रूप में अनुशंसा कीः

"(i) विज्ञापन में अपर्याप्त जानकारी से संबंधित शिकायतेंः

समिति ने कहा कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक पेपर में न्यूनतम अंक प्राप्त करना एन. ई. टी. के लिए आवश्यक पात्रता नहीं है।अतीत में, जे. आर. एफ. के प्रयोजनाेंं के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय तीनों पेपरों में अंकों को ध्यान में रखा जाता था। साथ ही, समिति ने महसूस किया कि भविष्य में घोषणा से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तीनों पेपरों में अंकों को एन. ई. टी. के साथ-साथ जे. आर. एफ. के लिए भी ध्यान में रखा जाएगा और एन. ई. टी. के लिए पात्रता सभी उम्मीदवारों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी।

(ii) विभिन्न विषयों में समान और उच्च कट-ऑफ से संबंधित शिकायतेंः यू. जी. सी.- एन. ई. टी. के लिए समिति ने विभिन्न विषयों के प्राप्त अंकों के पैटर्न की और जांच की और उम्मीदवारों के अनुपात की जांच की जो मध्यस्थता समिति द्वारा अनुमोदित यूनिफॉर्म कट-ऑफ के आधार पर यू. जी. सी.-एन. ई. टी. के लिए पात्र थे। यह उल्लेख किया गया है कि इसमें सफल होने वाले छात्रों का अनुपात कई विषयों में 30 प्रतिशत से

ऊपर से लेकर 1 प्रतिशत कम का अंतर कम है। समिति ने महसूस किया कि यह प्रकिया कई विषयों के उम्मीदवारों को नुकसान पहुचा सकती है। एक निष्पक्ष विधि में अन्य उम्मीदवारों के सापेक्ष प्रदर्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। तदनुसार समिति ने जून 2012 में आयोजित यू. जी. सी.-एन. ई. टी. के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची में सुधार की सिफारिश की। इस सुधार के लिए, अतिरिक्त मानदंड (बी नीचे) का उपयोग किया जाएगा और कोई भी उम्मीदवार जो निम्नलिखित दो मानदंडों में से किसी एक को पूरा करता है, यू. जी. सी.-एन. ई. टी. के लिए पात्र होंगेः

(ए) वे उम्मीदवार जिन्होंने विचार क्षेत्र बनाया था, अर्थात जिन्हें सामान्य श्रेणी के लिए पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III में क्रमशः न्यूनतम 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अंक; ओ. बी. सी. (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के लिए पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III में क्रमशः 35 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 45 प्रतिशत अंक; पेपर-द्वितीय और पेपर-तृतीय क्रमशः और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III में क्रमशः 35 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 40 प्रतिशत प्राप्त किए और जिन्होंने समग्र प्रतिशत (पेपर-I, II और III के अंको के संयोजन द्वारा प्राप्त), सामान्य के लिए 65 प्रतिशत लिए, ओ. बी. सी. (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के लिए 60 प्रतिशत और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के

लिए 55 प्रतिशत प्राप्त किया हैं। (यह मध्यस्थता समिति द्वारा पहले वर्णित मानदंड के समान था।)

(बी) वे उम्मीदवार जो एन. ई. टी. में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों के शीर्ष 7 प्रतिशत में शामिल हैं; प्रत्येक विषय व प्रत्येक श्रेणी (एससी/एसटी/ओ. बी. सी. (गैर क्रिमी लेयर)/ पीडब्ल्यूडी के लिए के लिए अलग से गणना की गई। तदनुसार इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक विषय और प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ निर्धारित की जाएगी। बराबरी के मामले में (जब कई छात्रों के पास कुल अंक समान होता है) योग्यता अंकों पर उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो प्रत्येक पेपर में न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त नहीं करते हैं और इसलिए विचार क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही वे अपने विषय व श्रेणी में शीर्ष 7 प्रतिशत में आते हों।

16. समिति ने परिणामों की पुनः समीक्षा की और निर्णय लिया कि जे. आर. एफ. और व्याख्यान पात्रता दोनाेंं के लिए तथा केवल व्याख्यान के लिए कुछ अतिरिक्त उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया जाए। तदनुसार, यू. जी. सी. ने 15,178 अतिरिक्त उम्मीदवारों को योग्य घोषित करते हुए पूरक परिणाम तैयार किया जो 12.11.2012 पर घोषित किया

गया था। यह 18.9.2012 पर घोषित हुए यू. जी. सी.-एन. ई. टी. जून 2012 के मूल परिणाम में योग्य घोषित उम्मीदवारों के अतिरिक्त था।

17. कुल मिलाकर 5,71,630 उम्मीदवार यू. जी. सी. एन. ई. टी. परीक्षा, 2012 में उपस्थित हुए, जिसमें से 2,04,150 उम्मीदवारों ने पेपर 1, पेपर II और पेपर III में अलग से निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए और विचार क्षेत्र में आ गए। यू. जी. सी. की विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंडों को लागू करते हुए इनमें से 57,550 उम्मीदवारों को एन. ई. टी. वर्ष 2012 की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया था।

18. हमने देखा हैं कि जिन उम्मीदवारों ने पेपर I, पेपर II और पेपर III में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में पहुंचे और एक घोषणा की मांग की कि परिणामों की अंतिम घोषणा में परिलक्षित योग्यता मानदंड में परिवर्तन मनमाना, अवैध और कानून के अधिकार के बिना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एन. ई. टी. की घोषणा एकमात्र न्यूनतम पात्रता मानक होने के कारण, यू. जी. सी. ने कुल मानदंड को एक अतिरिक्त मानदंड के रूप में तय करने का प्रयास किया है। जो यू. जी. सी. की कार्रवाई अधिसूचना के दायरा से परे जाती है। बाद में, यह भी बताया गया कि यदि यू. जी. सी. को परिणामों की घोषणा से पहले

किसी भी अतिरिक्त योग्यता मानदंड को तय करने की शक्ति मिली है तो, उसे एन. ई. टी. परीक्षा लेने के समय अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, रिट याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला था कि एन. ई. टी. निर्धारित करने का उद्देश्य केवल देश भर में नियुक्त किए जाने वाले व्याख्याताओं के मानकों को समान बनाना है और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री प्रदान करके मूल्यांकन में असमानता को दूर करना और यह कि यू. जी. सी. एक भर्ती प्राधिकरण नहीं है। उम्मीदवारों के अनुसार यू. जी. सी. से केवल समान मानकों को निर्धारित करने की और परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी अन्य योग्यता मानदंड को अधिरोपित नहीं करने की उपेक्षा की जाती हैं। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों काे स्वीकार किया और रिट याचिकाकर्ताओ को अनुमति दी और यू. जी. सी. को निर्धारित न्यूनतम अंकों के संदर्भ में परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। उसी से व्यथित, यू. जी. सी. द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।

19. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओ को विस्तार से सुना है। आइए, शुरुआत में, यह इंगित करें कि योग्यता मानदंड के मानक को निर्धारित करने के लिए यू. जी. सी. की शक्ति विवादित नहीं है, लेकिन यह इंगित किया गया कि इस तरह के योग्यता मानदंड को अधिसूचित किया जाना चाहिए था और उम्मीदवारों को 24 जून, 2012 को परीक्षा लेने से पहले

सूचित किया जाना चाहिए था। यह निर्धारित करने के बाद कि उम्मीदवारों को पेपर I, पेपर II और पेपर III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी, परिणामों की घोषणा से पहले एक अतिरिक्त योग्यता मानदंड को अधिरोपित करने में कोई औचित्य नहीं है।

20. हमने विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है जो स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे कि एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में यू. जी. सी. को ऐसे कदम उठाने का सामान्य कर्तव्य सौंपा गया है जिसे वह यू. जी. सी. अधिनियम मानकों का निर्धारण और रखरखाव, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के लिए उचित समझे। यह भारत में उच्च शिक्षा के कार्य को बढावा देने के लिए निर्धारित या उसके द्वारा आवश्यक समझा जाने वाले ऐसे सभी कार्य को करने के लिए भी कर्त्तव्यबद्ध है। यू. जी. सी. को उस योग्यता को परिभाषित करने की शक्ति भी मिली है जो विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त करने व विश्वविद्यालयों में मानकों के रखरखाव और कार्य और संकायों के समन्वय को विनियमित करने के लिए आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होनी चाहिए।

21. दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह 1994 Supp. (3) SCC 516 में इस न्यायालय ने यू. जी. सी. की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया और निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गयाः

"20. प्रविष्टि 66 का दायरा पहले से ही गुजरात विश्वविद्यालय बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर 1963 Supp 1 SCR 112 और उस्मानिया विश्वविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1987) 4 SCC 671 में इस न्यायालय के निर्णयों का विषय रहा है। यू. जी. सी. अधिनियम प्रविष्टि 66 के प्रावधानों के तहत इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसका संक्षिप्त शीर्षक, वास्तव में, प्रविष्टि 66 के शब्दों को पुनः प्रस्तुत करता है। यू. जी. सी. के प्रमुख कार्य का विवरण धारा 12 के प्रारंभिक शब्दों में इस प्रकार दिया गया हैः

> "आयोग का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि ऐसे सभी कदम उठाएँ जो उसे विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार व समन्वय के लिए और विश्वविद्यालय शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित लगे।''.....
>
> यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आयोग काे यह कर्तव्य सौपा गया है कि ''ऐसे सभी कदम उठाए जो वह शिक्षण के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझे।" ये बहुत व्यापक शक्तियाँ हैं। हमारे विचार में इस तरह की शक्तियाँ ऐसी शक्तियों को भी सम्मिलित करेगी जिनका विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में व्याख्याता का पद

धारण करने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखने वालों को एक लिखित परीक्षा के लिए आयोजन के लिए होने के लिए सहायक होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने से यह स्थापित करेगा कि उनके पास इस तरह के पद पर रहने के लिए न्यूनतम योग्यता है। ऊपर निर्दिष्ट शिक्षाविदों की समितियाँ व आयोगों की रिपोर्टों द्वारा इस तरह के परीक्षण की आवश्यकता प्रदर्शित है जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानकों में असमानताओं पर ध्यान दें। यह स्पष्ट है कि यह आवश्यक नहीं है कि एक विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री धारक, दूसरे विश्वविद्यालय से समान स्नातकोत्तर डिग्री धारक के समान मानक का है। उक्त विनियमों द्वारा निर्धारित परीक्षण का यही औचित्य है।यह पूरी तरह से प्रविष्टि 66 और यू. जी. सी. अधिनियम के दायरे में आता है जहां तक इसका उदेश्य मानको का समन्वय करना है और यू. जी. सी. ऐसे सभी कदम उठाने की शक्ति रखता है जैसा कि वह इस संबंध में उचित समझे। इसके सामान्य प्रदर्शन के लिए यू. जी. सी. अधिनियम के तहत अपने सामान्य कर्तव्य का निर्वहन करने और इसके अन्य कार्यो को करने के लिए यू. जी. सी. को धारा 12 के

विभिन्न खंड में निर्दिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है।इनमें किसी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना ऐसी सिफारिश को लागू करने के उद्देश्य के लिए की जाने वाली कार्रवाई के सम्बंध में सलाह देने की शक्ति शामिल हैं [खंड (डी)]। यू. जी. सी. को इस तरह के अन्य कार्यों को करने की शक्ति भी दी जाती है जो निर्धारित किए जा सकते है या इसके द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए या ऐसे कार्यों का निर्वहन करने के लिए आनुषंगिक या अनुकूल हो सकती है [खंड (जे)]....."

22. ऊपर उल्लिखित निर्णय का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम साधना चौधरी और अन्य (1996) 10 SCC 536 में अवलम्ब लिया गया, जिसमें इस न्यायालय ने मल्होत्रा समिति की सिफारिशों और यू. जी. सी. की शक्तियों पर विचार किया। इस न्यायालय के द्वारा एक अन्य निर्णय अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा कुलसचिव बनाम सूचना और पर्यटन विभाग के सरकारी सचिव और अन्य (2009) 4 SCC 590, का भी संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें इस न्यायालय ने दोहराया कि यू. सी. जी. अधिनियम को विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में मानकों का समन्वय और निर्धारण को सह प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया था।

23. यू. जी. सी. द्वारा यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 26 (1) के खंड (ई) और (जी) के तहत अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यू. जी. सी. (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और अन्य संस्थानों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता तथा उच्च शिक्षा के अन्य मानकों के निर्धारण के लिए) को विनियामक 2010 को जारी किया गया। विनियम का खण्ड 3.3.1 कथन करता है कि विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती व नियुक्ति के लिए एन. ई. टी. न्यूनतम पात्रता शर्त बनी रहेगी। खंड 4.4.1 यह निर्धारित करता है कि अन्य निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने से पहले, उम्मीदवारों को यू. जी. सी. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आवश्यक रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसलिए शिक्षण, परीक्षण आदि के मानकों के रखरखाव के लिए योग्यता मानदंड निर्धारित करने की यू. जी. सी. की शक्ति "जैसा कि यह उचित समझती हैं' पर विवाद नहीं किया जा सकता है। इन उपरोक्त वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए यू. जी. सी. ने 24 जून, 2012 को एन. ई. टी. आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना का पैरा 7 अधिनियम की योजना से संबंधित है जो यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उम्मीदवारों को पेपर I, पेपर II व पेपर III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उम्मीदवार जिन्होंने प्रत्येक पेपर में न्यूनतम

आवश्यक अंक प्राप्त किए है केवल उन पर ही परिणाम की अंतिम तैयारी के लिए विचार किया जाएगा। जे. आर. एफ. के लिए अंतिम योग्यता मानदंड और व्याख्यान के लिए पात्रता, परिणामों की घोषणा से पहले यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। उपरोक्त खंड परिणामों की अंतिम घोषणा से पहले पालन की जाने वाली निम्नलिखित आवश्यकताओ से संबंधित हैः-

(i) उम्मीदवारों के लिए पेपर I, पेपर II व पेपर III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करना;

(ii) जिन उम्मीदवारों ने उक्त मानदण्ड को संतुष्ट किया है, केवल वही परिणाम की अंतिम तैयारी से पहले एक योग्यता मानदंड के अधीन होंगे; (विचार क्षेत्र)

(iii) यू. जी. सी. को परिणाम घोषित करने से पहले अंतिम योग्यता मानदंड तय करना होगा।

24. उम्मीदवार, उपर वर्णित अन्य दो चरणों की उपेक्षा करते हुए इस तथ्य को विस्मृत करते हुए कि केवल वही उम्मीदवार विचार क्षेत्र में आएंगे, जिन्होंने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, उसी क्षण परिणामों की अंतिम घोषणा की मांग कर रहे हैं जिस क्षण वे पेपर I, पेपर II व पेपर III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमने उपर बताया है,

एन. ई. टी. परीक्षा, 2012 की अधिसूचना में इन सभी चरणों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

25. हमने पाया कि 2,04,150 उम्मीदवारों ने पेपर I, पेपर II व पेपर III में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। उन सभी उम्मीदवारों को यू. जी. सी. द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित अंतिम योग्यता मानदंड के अधीन किया गया था, क्योंकि वे विचार क्षेत्र के दायरे में आते हैं। अंतिम योग्यता मानदंडों को लागू करते हुए, समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीः-

(i) समिति ने सिफारिश की कि निम्नानुसार योग्यता मानदंड के अनुसार कुल 43,974 उम्मीदवार व्याख्यान योग्यता के लिए योग्य घोषित किया जाएः-

श्रेणी	न्यूनतम योग्यता अंक			
	पेपर I	पेपर II	पेपर III	समग्र
सामान्य	40%	40%	50%	65%
ओ बी सी (गैर क्रिमी लेयर)	35%	35%	45%	60%
एससी /एसटी /पीडब्ल्यूडी	35%	35%	40%	55%

(ii) समिति ने सिफारिश की कि एन. ई. टी. उपर उल्लेखित मानदंडों के अनुसार उन उम्मीदवारों में से जिन्होंने जे. आर. एफ. का विकल्प चुना था और जो व्याख्यान के लिए भी योग्य हो गए थे जे. आर. एफ. पुरस्कृत कों अंतिम रूप दे सकता है,

(iii) समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को मॉडरेशन समिति द्वारा अनुशंसित व्याख्यान और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया।

विचार-विमर्श का समापन करते हुए समिति ने परिणामों का विश्लेषण करने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने में एन. ई. टी. ब्यूरो के श्रमसाध्य प्रयास के लिए सराहना व्यक्त की।

26. हमने देखा, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया गया और योग्यता मानदंड के अनुसार 43,974 उम्मीदवार व्याख्यान योग्यता के लिए योग्य घोषित किए गए थे। जैसा कि पहले ही निर्देशित किया गया था, उन न्यूनतम अर्जित अंक प्राप्त लोगों के पक्ष में कुछ और छुट भी दी गई, जिन्होंने न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए हैं क्योंकि वे उम्मीदवार एन. ई. टी. में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों में शीर्ष 7 प्रतिशत में शामिल थे, जो 18.9.2012 को घोषित मूल परिणाम में योग्य घोषित उम्मीदवारों के अतिरिक्त थे। उस छूट से 15,178 उम्मीदवारों को लाभ हुआ। नतीजतन, जैसा कि कहा गया हैं, एन. ई. टी. परीक्षा 2012 में कुल 57,550 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया।

27. हमारी सुविचारित राय है कि यू. जी. सी. द्वारा उठाए गए सभी कदम पूर्णतः एन. ई. टी. परीक्षा, 2012 के लिए अधिसूचना के खंड 7 के अनुसार थे। हमारे विचार में खंड 7 के अनुसार योग्यता मानदंड निर्धारित करना नियम में परिवर्तन नहीं है क्योंकि अधिसूचना में पहले से ही इसका ध्यान रखा गया था। हम यह कहने के इच्छुक नहीं है कि यू. जी. सी. ने मनमाने ढंग से या सनकी तरीके से उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है। यू. जी. सी. ने अपनी वैधानिक शक्तियों और एन. ई. टी. जून, 2012 के लिए अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों का प्रयोग करते हुए व्याख्यान

योग्यता व जे. आर. एफ. के लिए योग्यता मानदण्ड को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों की एक मध्यस्थता समिति का गठन किया। यू. जी. सी. ने विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कार्य किया। उनके द्वारा की गई सिफारिशें निर्णय के पूर्व भाग में पहले समझाया जा चुका हैं। रिपोर्ट में इस तरह की सिफारिशें करने के कारण पर भी प्रकाश डाला गया है।

28. हमारा विचार है कि उम्मीदवारों को किसी भी तरह से गुमराह नहीं किया गया था। "राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना" शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है। "उत्तीर्ण करना" मतलब है कि अंतिम परिणाम पास करना, न केवल पेपर I, पेपर II और पेपर III में उत्तीर्ण होना, जो केवल प्रारंभिक चरण है, अंतिम नहीं है। एन. ई. टी. परीक्षा पास करने के लिए, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है उम्मीदवारों को परिणाम उदघोषणा से पहले यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित अंतिम योग्यता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। किसी भी तरह से गुमराह नहीं किया।

29.शैक्षणिक मामलों में, जब तक कि कोई वैधानिक प्रावधानों, विनियमों या अधिसूचना जारी होने का स्पष्ट उल्लंघन न हो, तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी क्योंकि वे मुद्दे विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस न्यायालय ने मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी. डी. गोविंदा राव,

1964 SCR 575 = AIR 1965 SC 491, तारिक इस्लाम बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 2001 (3) Suppl. SCR 689

विश्वविद्यालय 2008 (11) SCR 992 = (2008) 9 SCC 284 में यह विचार रखा है कि न्यायालय आम तौर पर विशेषज्ञ शैक्षणिक निकायों द्वारा व्यक्त की गई राय पर अपील में नहीं बैठेगा और आम तौर पर न्यायालयों के लिए यह विवेकपूर्ण और सुरक्षित है कि वे अकादमिक विशेषज्ञ निकायों के निर्णय को छोड़ दें जो न्यायालय की तुलना में उनके सामने आने वाली समस्या से अधिक परिचित हैं ।एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में यू. जी. सी. को ऐसे कदम उठाने का कर्तव्य सौंपा गया है जो उसे शिक्षण के मानकों का निर्धारण और रखरखाव, विश्वविद्यालयों में परीक्षा और अनुसंधान के निर्धारण के लिए उचित लगे। उक्त मानकों को प्राप्त करने के लिए, यू. जी. सी. किसी भी योग्यता मानदण्ड को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसका कि एक निर्धारित उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है उदाहरणार्थ, शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के रखरखाव के लिए। व्याख्यान के लिए पात्र घोषित किए गए उम्मीदवारों पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है और इस प्रकार के शिक्षा संकाय के मानकों का विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के छात्रों को प्रदान किए जाने वाली शिक्षा के मानकों के रखरखाव के साथ सीधा संबंध है। यू. जी. सी. ने केवल

योग्यता मानदंड को निर्धारित करके विशेषज्ञों की राय को लागू किया, जिसे मनमाना, अवैध या भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता है।

30. तदनुसार अपीलों को स्वीकार किया जाता है और उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाता है। पक्षकारों बनाए जाने वाले तथा हस्तक्षेप के लिए प्रस्तुत आवेदन खारिज किए जाते हैं। व्यय से संबंधित कोई आदेश नहीं होगा।

आर. पी. अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।